

किसान भाईयों/बहनों के लिए आवश्यक सूचना

खरीफ, 2015 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान कार्यक्रम

किसान भाई/बहन डीजल अनुदान प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायें :

- किसान पंचायत के लिए निर्धारित पंचायत सेवक/किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक के माध्यम से डीजल आवेदन पत्र को जमा करा सकेंगे। आवेदन पत्र के साथ कैशमेमो लगाना अनिवार्य है।
- किसान अपना आवेदन प्रखंड कार्यालय में अवस्थित काउंटर पर भी जमा कर सकते हैं।
- पंचायत सेवक/किसान सलाहकार/कृषि समन्वयक द्वारा आवेदन पत्रों का सत्यापन सम्बन्धित किसान के खेत पर जाकर किया जायेगा।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा पंचायतों से प्राप्त सत्यापित किसानों की सूची एवं भुगतये डीजल अनुदान की राशि का प्रखंड स्तर पर संकलित सूची तैयार कर कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी।
- डीजल अनुदान राशि का भुगतान किसानों के खातों में RTGS / एकाउन्टपेयी चेक के माध्यम से किया जाएगा। वैसे किसान, जिनका बैंक में खाता नहीं है, वे प्राथमिकता के आधार पर बैंक खाता खुलवा लें।
- दिनांक 25.06.2015 से 31.10.2015 तक खरीफ फसलों की सिंचाई के लिए 25 रुपये प्रति लीटर की दर से 250 रुपये प्रति एकड़, प्रति सिंचाई डीजल अनुदान दिया जायेगा।
- यह अनुदान धान के लिए 3 सिंचाई, धान बिचड़ा के लिए 2 सिंचाई तथा मक्का के लिए 3 सिंचाई के लिए प्रति एकड़ अधिकतम 750/- रु० दिया जायेगा।
- बटाईदारों को भी डीजल अनुदान अनुमान्य हैं तदनुसार, उन्हें भू-लगान या अन्य कागजात आवेदन पत्र के साथ लगाने की आवश्यकता नहीं है।
- यदि किन्हीं किसानों को अपने आवेदन के संदर्भ में किसी प्रकार की शिकायत होगी तो वे लिखित रूप में यह शिकायत डीजल अनुदान अनुश्रवण-सह-निगरानी समिति के समक्ष रखेंगे, वे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

[विभाग का हेल्पलाइन नं० : 0612-2217103]

आवेदन फार्म	
सिंचाई के लिए डीजल पर अनुदान हेतु आवेदन-पत्र	
डीजल का कैशमेमो यहाँ चिपकायें। यदि कैशमेमो आकार में बड़ा हो तो पिन लगाकर संलग्न करें।	
1. पंचायत / नगर क्षेत्र.....	2. प्रखंड.....
3. जिला.....	
4. किसान (आवेदक) का नाम.....	
5. पिता / पति का नाम.....	
6. पत्राचार का पता : ग्राम..... पोस्ट..... थाना....., दूरभाष / मोबाईल संख्या.....	
7. कुल जोत का रकबा(एकड़ में).....	
8. बुआई की गई धान एवं मक्का के जोत का कुल रकबा.....	
9. बैंक एवं शाखा का नाम जहाँ कृषक का खाता है.....	
10. खाता संख्या.....	
11. बैंक का आई० एफ० एस० सी०(IFSC) कोड.....	
12. सिंचाई किए जाने वाले खेत की चौहद्दी : उत्तर :..... दक्षिण :..... पूरब :..... पश्चिम :.....	
13. मैंने..... एकड़ खेत में सिंचाई के लिए..... लीटर डीजल..... (अधिकृत विक्रेता / पेट्रोल पम्प का नाम) से क्रय किया है। अधिकृत विक्रेता से प्राप्त कैशमेमो ऊपर निर्धारित स्थान पर चिपकाया गया है / संलग्न किया गया है। मेरे द्वारा पटवन दिनांक..... से..... तक किया गया है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि उपर दिए गए विवरण सही हैं। इसमें कोई त्रुटि पाए जाने पर मैं अनुदान की राशि वापस कर दूँगा।	
किसान (आवेदक) का पूरा नाम, हस्ताक्षर एवं तिथि	
किसानों के खेत के समीप के खेत में खेती करने वाले का प्रमाण-पत्र	
प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक किसान मेरे खेत के नजदीक वाले खेत में खेती करते हैं। इन्होंने आवेदन में दर्शाये गये तिथि को सिंचाई किया है।	
तिथि :...../...../.....	
नजदीकी किसान का पूरा नाम, पता एवं हस्ताक्षर	
प्राप्ति रसीद	
नाम..... पिता / पति का नाम..... ग्राम..... पंचायत..... में डीजल अनुदान हेतु	
दिनांक..... को आवेदन प्राप्त किया। प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	
नोट-जो लागू नहीं हो उसे कृपया काट दें। अपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।	

